

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये आवश्यक निर्देश-

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में प्रतिदिन जनसुनवाई की जा रही है, जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 30.08.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावनी प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।



जिलाधिकारी महोबा व पुलिस अधीक्षक महोबा की संयुक्त अध्यक्षता में महोबा में लगने वाले ऐतिहासिक कजली मेला महोत्सव के सम्बन्ध में आयोजित हुयी समीक्षा बैठक-

जनपद महोबा में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक कजली मेला महोत्सव को भव्य स्वरूप देने के उद्देश्य से पुलिस/प्रशासन तथा नगर पालिका परिषद तथा महोबा संरक्षण एवं विकास समिति द्वारा की जा रही विभिन्न तैयारियों के सम्बन्ध में दिनांक 29.08.2023 को जिलाधिकारी महोबा श्री मनोज कुमार व पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता की संयुक्त अध्यक्षता में अन्तर्विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

महोबा के ऐतिहासिक कजली महोत्सव की समीक्षा के दौरान आयोजित बैठक में मौजूद पुलिस/प्रशासन तथा नगर पालिका परिषद तथा महोबा संरक्षण एवं विकास समिति के सदस्यों/प्रतिनिधियों ने कजली मेला में आयोजित कार्यक्रमों व सांस्कृतिक धरोहर से आच्छादित उच्च कोटि के कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध में अपने-अपने सुझाव दिये जिससे कजली महोत्सव को अधिक वैभवशाली रूप दिया जा सके।

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मेला प्रबंधन समिति से समुचित सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वार्ता की गयी तथा उनके द्वारा की गयी तैयारियों की समीक्षा भी की, साथ ही निर्देश दिया कि दो दुकानों के बीच के मार्गों को चौड़ा रखा जाए जिससे लोगों को दूर-दूर चलने में परेशानी ना हो और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी ना हो।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि मेला स्थल के अंदर वाहनों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित रखा जाए। आयोजन समिति को पूर्ण आश्वस्त किया कि पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी और समिति को मेला आयोजन करने में पुलिस पूरी मदद करेगी।

इस अवसर पर सीडीओ श्री चित्रसेन सिंह, एडीएम राजस्व/वित्त श्री राम प्रकाश, अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम, एसडीएम नगर श्री जितेन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय मौजूद रहे।



जनपद महोबा में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक कजली मेला/जुलूस के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में सुरक्षा व्यवस्था के किये गए पुख्ता इंतजाम, ड्रोन कैमरों का होगा उपयोग, चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेगी खाकी।

जनपद महोबा में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक कजली मेला/जुलूस के दौरान श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा के निर्देशन में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं, पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सम्पूर्ण मेला परिसर का भ्रमण कर पुलिस प्रबन्धन के इंतजामों का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया जिसके क्रम में आराजकतत्वों/गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। सम्पूर्ण मेला परिसर को सुरक्षा के दृष्टिगत 01 जोन, 02 कार्डन (इनर/आउटर), 07 सेक्टर में विभाजित किया गया है। सम्पूर्ण मेला के राजपत्रित प्रभारी अधिकारी श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा को बनाया गया है।

ऐतिहासिक मेले को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु भारी संख्या में पुलिस बल जिसमें 04सीओ, 01निरीक्षक, 68उ.नि., 57मुख्य आरक्षी, 246 आरक्षी, 58महिला आरक्षी, 25यातायात पुलिस, सहित 02 कम्पनी 01 प्लाटून, 01 QRT (क्विक रिस्पांस टीम) की ड्यूटी लगायी गयी है।

सम्पूर्ण मेला परिसर में अस्थाई रूप से 01 मेला कोतवाली, 03 चौकी स्थापित की गयी है, इसके अतिरिक्त मेले में चिन्हित स्थलों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गयी है, साथ ही ड्रोन के माध्यम से सतत निगरानी की जायेगी, साथ ही निगरानी के लिये 09 वाच टावर बनाये गये हैं, अग्नि सुरक्षा के मद्देनजर सभी महत्वपूर्ण स्थलों में फायर टेण्डर स्थापित किये गये हैं, साथ ही महत्वपूर्ण स्थानों में PAC बल की तैनाती की गयी है।

ध्यातव्य रहे कि जनपद महोबा में दिनांक 31.08.2023 को निकलने वाले जुलूस को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं भारी संख्या में पुलिस बल जिसमें 04सीओ, 05 थानाध्यक्ष, 32उ.नि., 53मुख्य आरक्षी, 133 आरक्षी, 37महिला आरक्षी, 12यातायात पुलिस, सहित 02 कम्पनी पीएसी, 01 QRT (क्विक रिस्पांस टीम) की ड्यूटी लगायी गयी है।



निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक पद पर पदोन्नत होने पर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्रतीक चिन्ह/स्टार लगाकर दी गयी बधाई...

विगत दिनों पुलिस मुख्यालय द्वारा निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले निरीक्षकगणों की योग्यता सूची जारी की गई थी, जिसके क्रम में महोबा जनपद में पुलिस कार्यालय में नियुक्त निरीक्षक श्री राजेश कुमार सिंह का नाम भी पदोन्नत प्राप्त करने वाली सूची में था। उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 30.08.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में पदोन्नत निरीक्षक श्री राजेश कुमार सिंह के कंधों पर पद, प्रतीक चिन्ह व स्टार लगा कर पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई तथा सामुदायिक पुलिसिंग के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन व जनता के साथ मधुर व्यवहार करने की प्रेरणा दी गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निरीक्षक श्री राजेश कुमार सिंह की प्रशंसा करते हुये कहा गया कि आपके द्वारा पुलिस कार्यालय की प्रमुख शाखाओं (मीडिया सेल, आईजीआरएस सेल एवं विशेष जांच प्रकोष्ठ) के कार्यों का निष्पादन व अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया जा रहा है तथा भविष्य में भी आप इसी तरह विभाग को निरन्तर सेवाएं प्रदान करते रहे



थाना कबरई की पुलिस टीम ने 01 किलो 200 ग्राम अवैध सूखे गांजे के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु अवैध मादक पदार्थों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 30.08.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई द्वारा गठित की गयी 30नि0 श्री सर्वेन्द्र सचान के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त जीतू उर्फ जीतेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 जगदीश सिंह उम्र 37 वर्ष महोबा रोड से ग्राम मकरबई जाने वाले मार्ग ग्राम अलीपुरा के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक झोले में 01 किलो 200 ग्राम अवैध सूखा गांजा नाजायज बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 226/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद गिरफ्तारी अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. 30नि0 सर्वेन्द्र सचान
2. का0 अवनेश कुमार
3. कां0 जयप्रकाश

गिरफ्तार अभियुक्त-

जीतू उर्फ जीतेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 जगदीश सिंह उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा।



जनपदीय एसओजी/सर्विलांस टीम व थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने अवैध गुटखा सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार,

कब्जे से भारी मात्रा में अवैध गुटखा, गुटखा बनाने में प्रयुक्त सामग्री/मशीन (अनुमानित कीमत 30 लाख रुपये) को किया गया बरामद ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.08.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में एसओजी महोबा/सर्विलांस एवं थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा चेकिंग संदिग्ध/व्यक्ति के दौरान 01 नफर अभियुक्त गुलशन गुप्ता पुत्र स्व. मुन्नालाल गुप्ता उम्र करीब 29 वर्ष से भारी मात्रा में अवैध गुटखा बनाने की मशीन, गुटखा पैकिंग रैपर सहित गुटखा बनाने में प्रयुक्त सामग्री बरामद करते हुये मु0 समदनगर थाना कोतवाली नगर महोबा से गिरफ्तार किया गया, इस दौरान नरेन्द्र गुप्ता पुत्र अज्ञात निवासी पनवाड़ी थाना पनवाड़ी जनपद महोबा व दो अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात भागने में सफल रहे जिनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 402/2023 धारा 420/467/468/272/273 भादवि. व 59 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह
- 2.उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया प्रभारी चौकी भटीपुरा
- 3.उ0नि0 अनुरुद्ध प्रताप सिंह
- 4.हे0का0 सुरेश कुमार
- 5.कां0 प्रवीण कुमार
- 6.कां0 रामकुमार तिवारी
- 7.कां0 शुभम सरोज
- 8.कां0 देवराज

स्वाट/सर्विलांस टीम:-

1. प्रभारी स्वाट टीम श्री नन्हेलाल यादव
2. प्रभारी सर्विलांस उ0नि0 श्री रवि कुमार सिंह
- 3.कां0 निर्भय सिंह
- 4.कां0 रंजीत सिंह
- 5.कां0 आशीष बघेल
- 6.कां0 अंशुल दुबे

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.गुलशन गुप्ता पुत्र स्व. मुन्नालाल गुप्ता उम्र करीब 29 वर्ष निवासी लाड़पुर थाना कुलपहाड़ महोबा बरामदगी:-

अठारह बोरे में तम्बाकू सुपारी मिक्चर तथा बारह प्लास्टिक के बोरो में भिन्न भिन्न ब्राण्ड के तम्बाकू सुपारी युक्त गुटखा एवं अड़तीस बोरो में तम्बाकू व अठारह बोरो में कटी हुई सुपारी व दस बोरो में साबुत सुपारी एवं दो बोरो में गुटखा में डालने वाला सुपारी का बुरादा तथा एक बोरे में पन्द्रह किलो लौंग तथा एक प्लास्टिक की बोरी में बीस किलो पिपरमेन्ट तथा एक प्लास्टिक की बोरी में प्लस तम्बाकू ब्राण्ड के पैकेट तथा पाँच बोरो में लौंग की लकड़ी एवं चवालीस प्लास्टिक की बोरियों में गुटखा पैकिंग रैपर व एक इलेक्ट्रानिक कांटा व एक अदद सुपारी छानने की मशीन



थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा/कारतूस के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु अवैध शस्त्रों की बिक्री एवं उनके निर्माण में प्रभावी रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 30.08.2023 को श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा द्वारा गठित टीम के उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल द्वारा चेकिंग संदिग्ध/व्यक्ति के दौरान 02 नफर अभियुक्तगण 1.उत्तम राजपूत पुत्र भागीरथ राजपूत उम्र करीब 19 2. अजेश राजपूत पुत्र महेन्द्र राजपूत उम्र करीब 20 वर्ष को लौड़ी रोड बिच्छू पहाड़िया कांशीराम कालोनी की ओर जाने वाली रोड के तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0- 400/2023, 401/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया तथा अभियुक्तगण के कब्जे एक अदद मोटरसाइकिल HERO मोटर साइकिल नं. UP 95W1698 बरामद की गयी जिसके विरुद्ध अन्तर्गत 207 एमवी एक्ट की कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ.नि. सुजीत कुमार जायसवाल प्रभारी चौकी बजरिया थाना कोतवाली नगर महोबा
- 2.उ0नि0 सनय कुमार प्रभारी चौकी सुभाष थाना कोतवाली नगर महोबा
- 3.कां0 अभिषेक यादव 4.कां0 धर्मेन्द्र सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त व बरामदगी, आपराधिक विवरण -

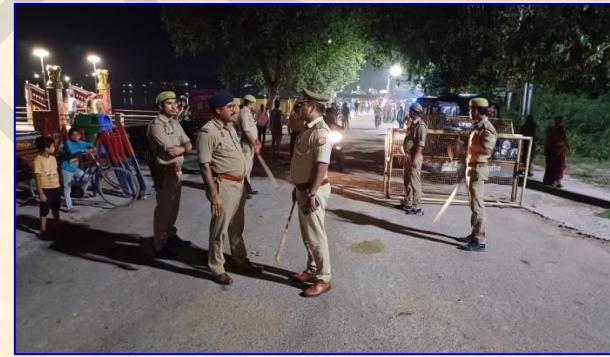
1. उत्तम राजपूत पुत्र भागीरथ राजपूत उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम पठा थाना लवकुशनगर जनपद छतरपुर म.प्र. के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज सम्बन्धित मु0अ0सं0 400/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली नगर महोबा
2. अजेश राजपूत पुत्र महेन्द्र राजपूत उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम पठा थाना लवकुशनगर जनपद छतरपुर म.प्र. के कब्जे से 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज सम्बन्धित मु0अ0सं0 401/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली नगर महोबा



रक्षाबंधन त्यौहार के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गश्त कर सदिग्ध व्यक्ति-वस्तु व वाहनों की, की गयी सघन चेकिंग, पैदल गस्त के दौरान आमजन व व्यापारियों से संवाद कर सुरक्षा का दिलाया गया भरोसा।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर आगामी त्यौहार रक्षाबंधन के दृष्टिगत जनपद में सुरक्षा/शान्ति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु आज दिनांक 30.08.2023 को जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष/ चौकी प्रभारी द्वारा मय पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए सायं कालीन फ्लैग मार्च/पैदल गश्त की जा रही है।

पैदल गश्त के दौरान जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों/ कस्बों/ बस अड्डा/ सार्वजनिक स्थानों/ प्रमुख चौराहों/ प्रमुख बाजारों/ मन्दिर/ शॉपिंग मॉल/ प्रमुख मार्गों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर सदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग कर आवश्यक हिदायत दी गयी। जनपद महोबा पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। यातायात नियमों के उल्लंघन में 86 वाहनों का ई- चालान किया गया तथा समन शुल्क अधिरोपित किया गया।



महोबा पुलिस